न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट–प्रथम,

विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, चन्दौली।

<u>विशेष सत्र परीक्षण संख्या–25 सन् 2018</u>

राज्य उत्तर प्रदेश प्रति धनन्जय यादव वगैरह

मु.अ.सं.–268/2017
धारा–3(1)उ.प्र.गिरोह बन्द एवं समाज
विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि.1986
थाना–सैयदराजा,
जिला–चन्दौली।

<u>आरोप</u>

मैं, अमित कुमार यादव–I, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट–प्रथम, विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), चन्दौली आप अभियुक्तगण :–

1. धनन्जय यादव पुत्र तिलकधारी यादव
2. काशीनाथ पुत्र छोटू

को निम्न् आरोप से आरोपित करता हूँ :–

यह कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–7/86 के प्रवर्तन के उपरान्त अधिनियम के उपरान्त अधिनियम की धारा–2 के अन्तर्गत एक गिरोह बनाया है तथा अपने व गिरोह के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आप लोगों ने भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16,17 व 22 के अंतर्गत अपराध कारित करते हैं तथा इसी क्रम में आप अभियुक्तगण ने गैंगचार्ट मे प्रदर्शित निम्न्लिखित अपराध कारित किये हैं :–

1. मु.अ.सं. 254/2017 अन्तर्गत धारा–3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा जिला चन्दौली में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया है जो धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं निर्देशित करता हूँ कि आपका विचाण उपरोक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक–02.02.2021 ई.

(अमित कुमार यादव–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट
ट्रैक कोर्ट–प्रथम, विशेष न्यायाधीश
(गैंगेस्टर एक्ट), चन्दौली।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की मॉग किया।

दिनांक–02.02.2021 ई.

(अमित कुमार यादव–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट
ट्रैक कोर्ट–प्रथम, विशेष न्यायाधीश
(गैंगेस्टर एक्ट), चन्दौली।